भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1491
उत्तर देने की तारीख 05.12.2011

अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान के लिए किये गये असन्तोषजनक कार्य

1491. **श्री मोहम्मद अदीब** :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या सरकार को अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान के लिए किए गए सरकारी कार्यों और उठाए गए कदमों को लेकर उनमें व्याप्त असन्तोष की जानकारी है**;

(ख) **इस स्थिति के क्या कारण हैं**;

(ग) **लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच के अन्तराल को पाटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं**; **और**

(घ) **अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान को वास्तविक अर्थों में सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं** ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (**श्री विन्सेंट एच. पाला**)

(**क**) **से** (**घ**) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान के लिए किये गये असन्तोषजनक कार्य" विषय पर श्री मोहम्मद अदीब द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.12.2011 **को उत्तर के लिए निर्धारित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 1491 **के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(**क**) **और** (**ख**) : देश में अल्पसंख्यक समुदायों की बढ़ती प्रत्याशाओं की पूर्ति के लिए सरकार ने जनवरी, 2006 में अलग से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन किया गया ताकि अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर तत्परता से ध्यान दिया जा सके। पहले वर्ष 2006-07 में कुल बजटीय आवंटन मात्र 130.90 करोड़ रु0 था, जो वर्ष 2011-12 में 2850 करोड़ रु0 हो गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक 1 करोड़ से अधिक छात्रों को 2067 करोड़ रु0 राशि की छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए 3564 करोड़ रु0 राशि की योजनाएं स्वीकृत की गयीं हैं। दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यकों को 1,47,000 करोड़ रु0 राशि का ऋण दिया गया है। यद्यपि, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को इन योजनाओं में आवश्यक सुधार कर कार्यान्वित करने के संबंध में समय-समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं, फिर भी सरकार की जानकारी में अल्पसंख्यकों में व्यापक असंतोष की बात नहीं आयी है।

(**ग**) **और** (**घ**) : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मूल्यांकन और निगरानी कार्य को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिशा में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं **:-**

(i) प्रत्येक योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अंत: निगरानी तंत्र है। समीक्षा कार्य तिमाही आधार पर किया जाता है।

(ii) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रषासनों/एजेंसियों/संगठनों द्वारा भी राज्यों में की जाती है।

(iii) अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर की समितियों द्वारा की जाती है।

(iv) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी मंत्रालय में तिमाही आधार पर तथा सचिव समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तथा इसके बाद रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

(v) देश भर में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर तैनात किए गए हैं।

(vi) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के प्रभाव संबंधी अध्ययन का कार्य भारतीय समाज सेवा अनुसंधान परिषद को सौंपा गया है। जहां तक विशेष उपायों की बात है, मंत्रालय द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे :-

क) वर्ष 2006-07 में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं की संख्या को 5 से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 12 किया गया है ;

ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमएसडीपी कार्यक्रम के तहत वित्तीय आवंटन को बढ़ा दिया गया है;

ग) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना - प्रणाली को और दक्ष तथा पारदर्शी बनाने की दृष्टि से इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरु किया गया है; और

घ) वक्फ अधिनियम, 2005 में समुचित संशोधन हेतु संसद में एक विधेयक लाया गया है।

*****